विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

विज्ञापन सं० 06/VSA/2020/LL

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० एंव उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत **लेखा लिपिक** के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदो पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु **निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों** से आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:–

1. रिक्तियों का विवरण:–

पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
27	लेखा लिपिक	45	10	27	18	02

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- **आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।**
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन–लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक–1 में अंकित Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

2. **वेतनमान:–** वेतन मैट्रिक्स लेवल–04 में वेतनमान रू0 27,200–86,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू, नियमानुसार देय होगें।

3. अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया:– अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है:–

(i) अनिवार्य अर्हतायें: (क) भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि **(ख)** कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

(ii) चयन प्रक्रिया :–

(क) लिखित परीक्षा (CBT): लिखित परीक्षा(CBT) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न–पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑन–लाइन माध्यम से करायी जायेगी।

प्रथम भाग:– लिखित परीक्षा(CBT) के प्रथम भाग में **DOEACC** के **"CCC"** स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। **प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा** अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा(CBT)के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :–लिखित परीक्षा(CBT) के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

ESCUPPCI विद्युत सेवा आयोग सचिव 2020 कारपोरेशन लि०

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
अंकगणित	25	25
सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	50	50
एकाउन्टेंसी एवं सामान्य बुक कीपिंग	75	75
	कुल अंक	150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा(CBT) में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थितियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 03 गुने से कम नहीं होगी। **परीक्षा के प्रथम भाग (कम्प्यूटर ज्ञान) के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेंगे।**

(ख) दक्षता(टंकण)परीक्षा :– हिन्दी टंकण परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा। चयन हेतु हिन्दी टंकण परीक्षा में न्यूनतम **30 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रकिया से बाहर हो जायेंगे। विज्ञापित पद पर निर्धारित दक्षता/टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर **Microsoft Word** में **Font:Kruti Dev 010/016** में ली जायेगी।

दक्षता(टंकण) परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में चयन प्रकिया अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

4. आयु:– दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम – 21 वर्ष एवं अधिकतम – 40 वर्ष।

5. आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षो की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षो की छूट अनुमन्य होगी।

6. आरक्षण :– आरक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा समय–समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों मे निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होगें। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग(**विकलांगता श्रेणी–OA,BL,OL,FT,MW,PD**)अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। **अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।** अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

7. परीक्षा स्थान:– परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

8. अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :–अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा(CBT)में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा।

(क)अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2020 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र(जिलाधिकारी द्वारा निर्गत)/विकलांगता प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2017 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जॉच के समय जमा

ESCUPPCI सचिव 2020

करायी जायेगी। दक्षता परीक्षा(टंकण) के उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों मे से लिखित परीक्षा (CBT) के अंको की श्रेष्ठता के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष **अधिकतम 02 गुना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों** के ही अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि)नहीं किया जायेगा।

(घ)टंकण परीक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए,अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

9. **अनापत्ति प्रमाण पत्र :** यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. **चरित्र :–** अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

11. **वैवाहिक स्थितिः–** ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी जो विधि विरूद्व एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हों, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

12. **शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्रः**–अभ्यर्थी को प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

13. **आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः**–आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 700/- प्रति आवेदन
2.	अनारक्षित,अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन
3.	उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क	Rs. 10/–प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।**

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

14. **आवेदन कैसे करें :** वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब **"APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.- 06/VSA/2020/LL"**पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर How to Apply पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझे।

15. **प्रवेश पत्रः**–लिखित परीक्षा(CBT) तथा दक्षता(टंकण)परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई–मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

16. **अन्य विशेष सूचना :**

(1)अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2)केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

(3)सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ तथा एक–एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरुप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जांच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

(4)अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता हैं।

(5)आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk620acctt@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

17. पारदर्शिताः– परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-

लिखित परीक्षा(CBT) की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 02 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा(CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्टेड सूची जारी की जाएगी। अभ्यार्थियों को **www.uppcl.org** की वेबसाइट से रिस्पांस–शीट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड से डाउनलोड़ करना होगा ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

19. महत्वपूर्ण तिथियॉ :

क0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	06.10.2020 से 27.10.2020 तक
2	नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ–	06.10.2020 से 27.10.2020 तक
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 27.10.2020)–	06.10.2020 से 29.10.2020 तक
4	ऑनलाइन (CBT) परीक्षा की सम्भावित अवधि	नवम्बर 2020 के तृतीय सप्ताह

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

संः 949 /विसेआ/06–VSA–2020/LL दिनांकः 15/09/ ,2020

ESCUPPCI सचिव 2020

Annexure-1

Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$Xn = \frac{S2}{S1} \cdot (X - Xav) + Yav$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S1	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
X	Raw score of a candidate
Xav	Simple average of the candidate Shift
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)